प्रेस नोट दिनाँक-09.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(क). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र विशम्भर निवासी करौंदी खुर्द थाना बरगढ़ चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सिद्दनाथ राय थाना बरगढ़
2. आरक्षी विवेक कुमार द्वितीय

(ख). उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नवल कुमार विश्वकर्मा पुत्र गयाप्रसाद निवासी बड़ी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी अनुभव मिश्रा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 08.09.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना राजापुर में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा थाना मऊ में 09 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। सभी से अपील की जाती है कि शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे अपराध पर अकुंश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ राजा पुत्र नारायणदास उर्फ मुन्ना निवासी बराछी थाना रैपुरा के विरुद्ध भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने पर धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यावाही की गयी।